विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-12/15

श्री सुनील कुमार जैन — आवेदक
आत्मज श्री मोहनलाल जैन
मेसर्स सुनील प्लास्टिक, मेन रोड सगड़ा बरगी हिल्स,
जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1) मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशासन) — अनावेदकगण
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर।

(2) मुख्य अभियंता (जबलपुर क्षेत्र)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

(3) अधीक्षण अभियंता (शहर संभाग),
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(4) कार्यपालन अभियंता (साउथ)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

आदेश
(दिनांक 27.07.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 293 / 2014 श्री सुनील कुमार जैन विरूद्ध मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 30.1.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 दिनांक 25.7.2015 को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया :–

अ. श्रीमान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर केक द्वारा प्रकरण क्रमांक 293 / 14 में प ारित आदेश दिनांक 30.01.2015 को निरस्त किया जावे।

ब. मार्च 2011से लेकर जून 2014 तक के बिल दिनांक 8.3.2011 के पूर्व के 6 माहों की बिल राशि के औसत खपत के आधार पर लिए जावे।

स. मार्च 2011 से लेकर जून 2014 तक की अपीलार्थी की औसत खपत 31440 यूनिट की है और अपीलार्थी द्वारा 68965 यूनिट का भुगतान किया गया है इसलिए अवशेष अर्थात अतिरिक्त 37525 यूनिट की राशि अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थीगणों से वापिस दिलायी जावे अथवा आने वाले बिलों में समायोजित करायी जावे।

द. माननीय लोकपाल महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिअपीलार्थीगणों को अपीलार्थी के परिसर के विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 25–92–25089100 को जोड़ने हेतु आदेशित किए जाने की न्यायहित में दया की जावे।

03 विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक एल00–012/2015 में दिनांक 17.7.2015 को दिये गये आदेश के अनुसार अनावेदक आवश्यक जानकारी सहित दिनांक 25.7.2015 को उपस्थित हुए।

04 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 8.3.2011 को उनके परिसर में लगे पुराने मीटर को नये मीटर से बदलते समय नये मीटर की रीडिंग अनावेदक द्वारा 34618 दर्शायी गयी जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि अप्रैल माह में अत्यधिक खपत 36919 यूनिट होना पाया गया है। अतः इस अप्रैल माह की रीडिंग को संशोधित करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 17.7.2015 को दिये गये निर्देश के अनुसार अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ परिसर में लगे मीटर में रीडिंग का स्नेपशॉट भी प्रस्तुत किया है जिसमें मीटर की रीडिंग 138433 दिख रही है जो कि फरवरी 2015 में उक्त परिसर का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने के समय थी।

05 आवेदक को माह अप्रैल 2014 में ही 138293 की रीडिंग का बिल जारी किया जा चुका था। अर्थात अप्रैल 2014 के प्रारंभ अर्थात फरवरी 2014 तक कुल 140 यूनिट की खपत दर्ज होना पायी जाती है जबकि आवेदक द्वारा विद्युत का निरंतर उपभोग किया गया है। यहॉ पर आवेदक द्वारा की गई खपत विगत वर्षों की मासिक औसत खपत से मेल नहीं खाती।

06 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि उनके बिलिंग सिस्टम में अभी भी नये मीटर की डिटेल दर्ज नहीं हो पायी है।

07 उपलब्ध दस्तावेज R(i)/2 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मार्च 2011 में परिसर में लगे पुराने मीटर की फरवरी 2011 में रीडिंग 70128 यूनिट दर्ज है तथा उसी निरंतरता में मीटर रीडिंग एवं खपत दर्ज की जाती रही।

08 जबकि मार्च 2011 में नये मीटर की प्रारंभिक रीडिंग 34618 थी जिसकी निरंतरता में ही मीटर रीडिंग होना चाहिए थी। जैसे कि अप्रैल 2011 में खपत 650 यूनिट दर्शायी गई जिसको कि प्रारंभिक रीडिंग में जोड़ने पर अप्रैल माह की अंतिम रीडिंग 35268 होनी चाहिए थी तथा इसी निरंतरता में अगले माह में रीडिंग दर्ज होनी थी। परन्तु ऐसा नहीं होकर परिसर में लगे पुराने मीटर की रीडिंग के अनुसार ही दर्ज होना प्रतीत हो रहा है।

09 परिसर में स्थापित नये मीटर की कार्यप्रणाली की सत्यता की जांच हेतु अनावेदक द्वारा चैक मीटर दिनांक 13.11.2014 को लगाया था तथा दिनांक 15.12.2014 को खपत चैक करने पर 32 दिन की कुल खपत 865 यूनिट दर्ज हुई। तथा इस दौरान इसी अवधि में परिसर में लगे मीटर में इतनी ही यूनिट दर्ज होना पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिसर में लगे मीटर की कार्यप्रणाली सही थी।

10 उपलब्ध दस्तावेज R(i)/2 से यह स्पष्ट है कि मीटर वाचक द्वारा सही ढंग से मीटर की रीडिंग नहीं ली गई तथा अगस्त 2012 से अगस्त 2013 तक परिसर में खपत शून्य यूनिट दर्शायी गयी जो कि कर्मचारी/प्रभारी की सेवा में कमी (dificiency in service) को दर्शाता है।

11 नया मीटर दिनांक 8.3.2011 को प्रारंभिक रीडिंग 34618 पर लगाया गया था तथा अप्रैल 2011 में उसकी रीडिंग 71537 यूनिट दर्ज होना बताया गया है। अर्थात मार्च एवं अप्रैल के बीच 36919 यूनिट की खपत आवेदक द्वारा उपभोग किया जाना पाया जाता है।

12 दिनांक 17.7.2015 को अनावेदक से इस परिसर के विगत वर्षों में की गई खपत का विवरण चाहा गया था जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि किसी माह में भी औसत खपत 36919 यूनिट नहीं पायी गई। अतः यह कहा जा सकता है कि या तो मीटर की रीडिंग सहीं नहीं थी या फिर अप्रैल माह में रीडिंग को पूर्व में लगे मीटर की रीडिंग के अनुसार manipulated की गई। यद्यपि अनावेदक द्वारा नये मीटर की प्रारंभिक रीडिंग के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं परन्तु एक माह में 36919 यूनिट खपत दर्ज होना संदेहप्रद है।

13 यद्यपि मीटर रीडिंग स्टेटमेंट R(i)/2 के अनुसार वास्तविक रीडिंग लिये बिना पुराने मीटर की रीडिंग के अनुसार (Assessed unit) ही खपत अंकित की जाती रही है। अर्थात अनावेदक द्वारा वास्तविक रीडिंग न लेकर निर्धारित यूनिट के अनुसार ही आवेदक को बिल दिये जाते रहे तथा अप्रैल 2011 में एक–साथ 36919 की खपत दर्ज होने के कारणों की समीक्षा नहीं की गई ।

14 दिनांक 24.6.2014 को विजिलेंस टीप द्वारा परीक्षण करने पर भी मीटर में रीडिंग 129926 यूनिट पायी गई थी जबकि अप्रैल 2014 में आवेदक को 138293 रीडिंग का बिल जारी किया जा चुका था। यह भी दर्शाता है कि परिसर में लगे मीटर की रीडिंग मीटर वाचक एवं प्रभारी द्वारा वास्तविक रूप से नहीं ली गयी जो कि अनावेदक की सेवा में कमी की श्रेणी में आती है।

15 उपरोक्त तर्कों एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदक को विद्युत बिल वास्तविक खपत पर नहीं देकर निर्धारित यूनिट (Assessed unit) के आधार पर दिये गये जो कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.24 का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त तर्क एवं रिकार्ड के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

16 इस प्रकरण में संपूर्ण विवाद आवेदक के परिसर की मीटर रीडिंग वास्तविक रूप से नहीं ली जाकर निर्धारित यूनिट (Assessed unit) के अनुसार की गई। यदि अनावेदक द्वारा मीटर बदलने के पश्चात मीटर की प्रारंभिक रीडिंग की इंट्री उनके बिलिंग सिस्टम में की गई होती तो इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता।

17 माह मार्च–अप्रैल 2011 की अवधि में मासिक रीडिंग 71537 यूनिट दर्ज की गई बताया गया है जिसके अनुसार मीटर की प्रारंभिक रीडिंग 34618 से इस माह की विद्युत खपत 36919 होती है जो आवेदक के विगत वर्षों की औसत मासिक खपत से मेल नहीं खाती। अतः इस विभागीय त्रुटि का लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिए।

:: आदेश ::

अतः आदेशित किया जाता है कि :–

i माह मार्च–अप्रैल 2011 में की गई खपत का निर्धारण अप्रैल 2011 से जून 2014 तक अंकित खपत के मासिक औसत के आधार पर की जाकर मार्च 2011 से जून 2014 तक के विद्युत बिल का निर्धारण इन माहों में दर्ज की गई खपत के अनुसार संशोधित किया जाए तथा इस अवधि में आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन किया जाए।

ii आवेदक द्वारा जमा की गई राशि के समायोजन के पश्चात यदि कोई राशि संशोधित बिल के पश्चात शेष रहती है तो उसका भुगतान आवेदक द्वारा बिना सरचार्ज के जमा की जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि संशोधित बिल के पश्चात आवेदक द्वारा उक्त अवधि में अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है तो उस राशि को अनावेदक द्वारा अगले विद्युत बिलों में समायोजित किया जाए।

iii आवेदक से जुलाई 2014 से जून, 2015 तक की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक का विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाए। अनावेदक बकाया राशि का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत किश्तों में प्राप्त करने की सुविधा आवेदक को दें।

18 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल